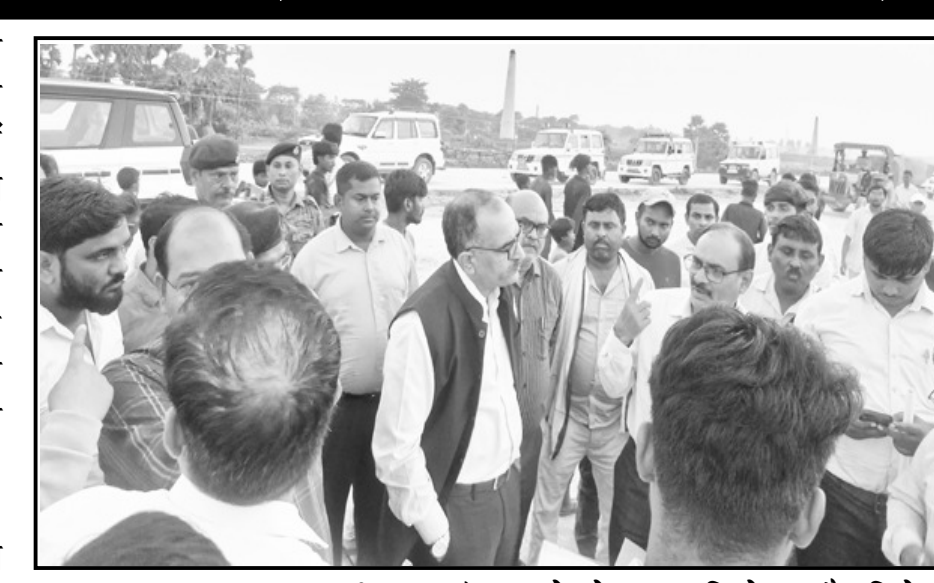
राजापाकड़ में निफ्टेम परिसर और औद्योगिक पार्क स्थापना की पहल तेज

केंद्रीय सचिव ने किया स्थल निरीक्षण, परियोजनाओं की समीक्षा कर दिये आवश्यक निर्देश

हाजीपुर (आससे)। वैशाली जिले के राजापाकड़ में प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान परिसर की स्थापना की दिशा में पहल तेज हो गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव अविनाश जोशी ने रविवार को चिह्नित भूमि का स्थल निरीक्षण किया और परियोजना की विस्तृत समीक्षा की।



जिलाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देशन में आयोजित इस भ्रमण कार्यक्रम के दौरान प्रस्तावित निफ्टेम परिसर की स्थापना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के क्रियान्वयन और औद्योगिक पार्क के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई।

सचिव ने संबंधित अधिकारियों से परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध संभावनाओं और कार्ययोजना के बारे में जानकारी ली।

अधिकारियों ने बताया कि राजापाकड़ में निफ्टेम परिसर और औद्योगिक पार्क की स्थापना से जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी। इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा और निवेश की संभावनाओं का विस्तार होगा। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और जिले की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

जिला प्रशासन के अनुसार यह परियोजना वैशाली के साथ-साथ पूरे उत्तर बिहार के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

यहां के किसान अपनी उपज का प्रसंस्करण कर अधिक लाभ कमा सकेंगे और छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।

निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार सरकार के निदेशक, औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र वैशाली, अनुमंडल पदाधिकारी महुआ, भू-अर्जन पदाधिकारी और अंचल अधिकारी जंदाहा सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।

जिलाधिकारी के निर्देशन में जिला प्रशासन संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है।

ऑपरेशन नीलकंठ के तहत दो थानों में शराब बरामद

हाजीपुर (आससे)। वैशाली पुलिस द्वारा शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन नीलकंठ के तहत जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम मे रविवार को दो थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। पहली कार्रवाई गौरौल थाना क्षेत्र में की गई।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नारायणपुर बेदौलिया में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस ने छापेमारी कर मौके से 9.615 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की। पुलिस ने शराब जब्त कर अग्रेतर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरी कार्रवाई कटहरा थाना क्षेत्र के शाहपुर खुर्द में की गई। यहां छापेमारी के दौरान पुलिस ने 35 लीटर देसी शराब बरामद की।

मौके पर मौजूद 200 लीटर अर्धनिर्मित शराब को पुलिस ने वहीं नष्ट कर दिया। वैशाली पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर लगातार छापेमारी कर कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली में महनार के युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत, शव गांव आते मचा कोहराम

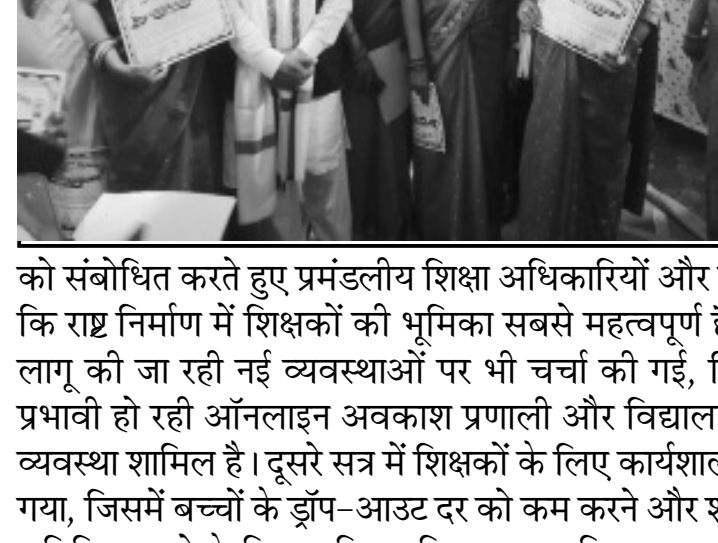
महनार। महनार थाना क्षेत्र के चकेशो गांव निवासी 35 वर्षीय युवक की दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रविवार को उसका शव गांव स्थित घर पहुंचते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। पत्नी और मां के विलाप से माहौल गमगीन हो गया। घटना की खबर सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मृतक के घर पहुंच गए। परिजन युवक की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जता रहे हैं।



मृतक की पहचान अल्लीपुर हट्टा पंचायत के चकेशो वार्ड संख्या-2 निवासी महेंद्र राय उर्फ भालो राय के पुत्र बिरजू राय के रूप में हुई है। बताया जाता है कि बिरजू पिछले कई वर्षों से दिल्ली के अशोक नगर में रहकर टोटो रिक्शा चलाता था। इसी से वह अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। करीब दो महीने पहले ही वह गांव से दिल्ली गया था। परिजनों के अनुसार, घटना की रात बिरजू ने फोन पर परिवार के सदस्यों से बातचीत की थी। इसके अगले दिन गुरुवार की सुबह दिल्ली पुलिस ने उसका शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया। हालांकि, उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। परिजन उसकी हत्या किए जाने की आशंका जता रहे हैं। बिरजू तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। उसकी मौत से पत्नी समता कुमारी, मां राम दुलारी देवी और पिता महेंद्र राय सहित परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। इधर, लोजपा नेता अमरेश सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है।

महुआ में प्रमंडल स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में नयी शिक्षा नीति पर हुई चर्चा

हाजीपुर (आससे)। वैशाली जिले के महुआ में रविवार को प्रमंडल स्तरीय शिक्षक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में तिरहुत प्रमंडल के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षण पद्धतियों में सुधार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक स्तर को सुदृढ़ बनाना था। सम्मेलन की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमंडलीय शिक्षा अधिकारियों और मुख्य वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा विभाग द्वारा लागू की जा रही नई व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई, जिसमें एक नवंबर से प्रभावी हो रही ऑनलाइन अवकाश प्रणाली और विद्यालयों की नई मॉनिटरिंग व्यवस्था शामिल है। दूसरे सत्र में शिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के ड्रॉप-आउट दर को कम करने और शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अभिनव विचार साझा किए गए। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।



जिले में धान की खरीद शुरू, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिलेगा उचित दाम

103 समितियों के माध्यम से होगी खरीद, 48 घंटे में खाते में होगा भुगतान

हाजीपुर (आससे। जिलाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देशन में खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के अंतर्गत जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद का कार्य रविवार से शुरू हो गया है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित दाम देना, बिचौलियों की भूमिका समाप्त करना और खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है।

भारत सरकार द्वारा इस वर्ष साधारण धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल और उत्तम धान का मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। जिले में धान खरीद के लिए कुल 103 समितियों का चयन किया गया है, जिनके माध्यम से किसानों से धान की खरीद की जाएगी।

पहले दिन जिले के सात प्रखंडों के विभिन्न खरीद केंद्रों पर कुल 12 किसानों से 71.945 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। किसानों को बिक्री राशि का भुगतान 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा।

जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी खरीद केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए नमी मापक यंत्र, तौल मशीन, जूट के बोरे, छायादार प्रतीक्षालय और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।



जिलाधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे अपना धान अधिकतम 17 प्रतिशत नमी के साथ अच्छी तरह सुखाकर और साफ कर ही केंद्रों पर लाएं। साथ ही बिचौलियों से सतर्क रहने और अधिकृत सरकारी खरीद केंद्रों पर ही धान बेचने की अपील की है, ताकि उन्हें समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिल सके।

खरीद कार्य की निगरानी और शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं और उड़नदस्ता दल को सक्रिय किया गया है।

धान खरीद से संबंधित शिकायत के लिए किसान जिला सहकारिता अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यस्तरीय निःशुल्क दूरभाष संख्या 1800-3454-110 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

दीपावली पर आग से बचाव को लेकर किया जागरूक

महनार, (संसू)। दीपावली के अवसर पर सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने और आगजनी की घटनाओं से बचाव को लेकर अम्बेडकर चौक स्थित महनार संत जोसेफ स्कूल में अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महनार अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह और संतोष कुमार के नेतृत्व में अग्निशमन विभाग की टीम ने विद्यार्थियों को आग से बचाव और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक उदयशंकर जायसवाल, विद्यालय के प्राचार्य श्रीकांत जायसवाल, उपप्राचार्य पंकज कुमार, ऋतिक सिंह और विवेक कुमार मिश्रा उपस्थित रहे।



कार्यक्रम के दौरान टीम ने बच्चों को आग लगने के संभावित कारणों और उससे बचाव के तरीकों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को बताया गया कि दीपावली में पटाखे जलाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पटाखे हमेशा खुले स्थान पर जलाएं और ज्वलनशील पदार्थों के आसपास आतिशबाजी करने से बचें। बच्चों को बड़ों की देखरेख में ही पटाखे जलाने की सलाह दी गई। अग्निशमन कर्मियों ने आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय सूझबूझ से काम लेने, सुरक्षित स्थान पर जाने और तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना देने की जानकारी दी। साथ ही अग्निशमन उपकरणों के महत्व और उनके उपयोग के बारे में भी बताया।

आजादी के दशकों बाद भी सड़क से वंचित है दलित बस्ती

एक खेत की दूरी पर सड़क, फिर भी नहीं जुड़ी बस्ती; आवेदन देकर थक चुके हैं लोग

हाजीपुर। लालगंज प्रखंड के पुरणटांड़ पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर-09 के लखनसराय तेजसिंह गांव की दलित बस्ती में सड़क की मांग को लेकर रविवार को ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सड़क निर्माण की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने घरों से बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से जल्द निर्माण की मांग की।



ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के दशकों बाद भी बस्ती तक पक्की सड़क नहीं पहुंची है।

गांव में पांच सौ से अधिक घर हैं, लेकिन बस्ती तक पहुंचने के लिए आज भी पक्का रास्ता नहीं है। विडंबना यह है कि बस्ती से महज एक खेत की दूरी पर मुख्य सड़क मौजूद है, लेकिन उसे बस्ती से जोड़ने के लिए आज तक कोई पहल नहीं की गई।

ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए वे कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के पास आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सड़क के अभाव में सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और बीमार लोगों को हो रही है। बारिश के मौसम में जलजमाव और कीचड़ के कारण आवागमन और भी कठिन हो जाता है। स्थानीय चंदन कुमार पासवान ने बताया कि बस्ती में बड़ी संख्या में दलित परिवार रहते हैं, जो वर्षों से सड़क के अभाव में परेशान हैं।

विरोध प्रदर्शन में सुरेश पासवान, विजय पासवान, राम इकबाल पासवान, उदय पासवान, सुदन पासवान, राहुल कुमार, मीना देवी, राजमहली देवी, राधिका देवी, पार्वती देवी, कौशल्या देवी, सुनैनी देवी और अनीता देवी सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो वे किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे।

जनगणना-2027 के द्वितीय चरण का दिया प्रशिक्षण

डिजिटल माध्यम से कार्य निष्पादन पर जोर

हाजीपुर (आससे। जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारी को लेकर रविवार को जिला परिषद सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य जनसंख्या परिगणना का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना था। प्रशिक्षण में पदाधिकारियों और कर्मियों को प्रक्रिया, तकनीकी पहलुओं और कार्य निष्पादन की जानकारी दी गई। इस दौरान कुल 25 लोगों ने भाग लिया, जिनमें जिला, प्रखंड और नगर निकाय स्तर के सहायक और लिपिक शामिल थे। प्रशिक्षकों ने डिजिटल माध्यम से जनगणना पूरी करने की विधि समझाई। जिला स्तर पर यह प्रशिक्षण तीन चरणों में हो रहा है। पहला चरण 30 और 31 अक्टूबर को पूरा हो चुका है। दूसरा चरण एक और दो नवंबर को चल रहा है, जबकि तीसरा चरण तीन और चार नवंबर को आयोजित होगा। जिला पदाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी वर्षा सिंह ने निर्देश दिया कि सभी कर्मी प्रशिक्षण में मिली जानकारी के अनुसार गंभीरता और दक्षता से कार्य करें। उन्होंने जनगणना को समयबद्ध, त्रुटिरहित और प्रभावी ढंग से पूरा करने पर बल दिया।



कौनहारा विद्युत शवदाह गृह का जीर्णोद्धार युद्धस्तर पर जारी

डीएम के निर्देश पर तीन दशक पुराने संयंत्र का हो रहा आधुनिकीकरण

हाजीपुर (आससे)। हाजीपुर के कौनहारा स्थित विद्युत शवदाह गृह को पुनः क्रियाशील करने का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। जिलाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देश पर मरम्मत और आधुनिकीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कार्य पूर्ण होते ही आम लोगों के लिए सुविधा बहाल कर दी जाएगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शवदाह गृह को शीघ्र चालू करने को कहा है।



इसकी निगरानी नगर कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार दास और डीपीओ नमामि गंगे मुनेश कुमार कर रहे हैं। लगभग 30 वर्ष पुराने इस शवदाह गृह को नई तकनीक और आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है। पुराने संयंत्र में नए उपकरणों को स्थापित करने में तकनीकी अड़चनें आ रही हैं, इसलिए अतिरिक्त उपकरण मंगाए जा रहे हैं। इसी कारण कार्य में कुछ समय लग रहा है।

जीर्णोद्धार के तहत फर्नेस, बेड, ग्रिल, हीटर, कंट्रोल पैनल, ट्रॉली ट्रैक, ब्लोअर सिस्टम, विद्युत पैनल, कूलिंग एवं क्लीनिंग सिस्टम, स्क्रबर सिस्टम, पाइपलाइन और डक्टिंग समेत कई तकनीकी कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कई हिस्सों का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। नगर परिषद के कनीय अभियंता कृष्णचंद्र प्रसाद सहित अधिकारी नियमित रूप से स्थल का निरीक्षण कर कार्य में तेजी ला रहे हैं।

सेवानिवृत्त शिक्षक को दी विदाई

हाजीपुर। राजापाकर प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोविंदपुर झखराहा में सेवानिवृत्त शिक्षक रामलाल सिंह के सम्मान में विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मंच संचालन राजकुमार राय ने किया, जबकि अध्यक्षता प्रधानाध्यापक आनंदी पासवान ने की। विशेष अतिथि के रूप में संकुल समन्वयक धर्मनाथ शर्मा उपस्थित रहे।

सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं ने फूल-माला और अंगवस्त्र देकर रामलाल सिंह का भव्य स्वागत किया। शिक्षक राजकुमार राय ने कहा कि वे मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ थे, हमेशा बच्चों को अनुशासन और पढ़ाई की शिक्षा दी। अन्य वक्ताओं ने कहा कि सेवा में आने के बाद एक दिन जाना ही पड़ता है।

मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षक तेज नारायण सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापक राजदेव राय, मुरारी प्रसाद सिंह, परमानंद सिंह, नंदकिशोर प्रसाद सिंह, खुर्शीद आलम, संजय कुमार, सरोज कुमार, कुमारी संजू रानी, नीलोफर, सीमा कुमारी, रितु कुमारी सहित सभी शिक्षकों ने सम्मानित कर दीर्घायु जीवन की कामना की।

सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक की विदाई पर समारोह आयोजित

महुआ (आससे) । पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंघाड़ा, सीआरसी प्रखंड महुआ में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक सह संकुल समन्वयक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुकुंदपुर सिंघाड़ा, महेश प्रसाद सिंह का विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार सिंह ने की। सर्वप्रथम विद्यालय परिवार की ओर से पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर श्री सिंह को सम्मानित किया गया। इसके बाद बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष पंकज कुशवाहा एवं उपाध्यक्ष ललित दास ने पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष अशर्फी दास, कोषाध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा, सचिव अरुण कुमार, उपाध्यक्ष अमित कुमार, वैशाली उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉ. रामबालक राय, उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक चंद्रभूषण कुमार, भी मौजूद थे।

शपथ-पत्र

मैं मासूम राज उर्फ विवेक कुमार, पिता-दीपक कुमार, ग्राम महुआ सिंहराय, महुआ, वैशाली का निवासी हूँ। मेरी बजाज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सं. 0233565040 में विवेक कुमार और आधार सं. 5036 9597 7994 पर मासूम राज नाम अंकित है। मासूम राज एवं विवेक कुमार, पिता दीपक कुमार दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं तथा इसी नाम से जाने एवं पहचाने जाते हैं, इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है।

शपथ पत्र

मैं, शिवानी कुमारी, पुत्री मनोज कुमार उर्फ मनोज ठाकुर, निवासी ग्राम मुकुंदपुर सिंघाड़ा, पोस्ट-सिंघाड़ा, थाना महुआ, जिला वैशाली, शपथपूर्वक बयान करती हूँ कि मैं उपरोक्त पते की स्थायी निवासी हूँ। मैंने CBSE बोर्ड से वर्ष 2023 में मैट्रिक तथा 2025 में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है। मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में पिता का नाम MANOJ THAKUR अंकित है, जबकि आधार के अनुसार सही नाम MANOJ KUMAR है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

AFFIDAVIT

I, Anil Kumar S/o Vaidhnath Ray R/o Gorhia Chaman P.S- Warishpur P.O- Bhagwanpur. Dist- Vaishali Pin- 844114 Bihar do hereby solemnly affirm and declare That I am permanent residing of above said address. My son birth certificate and school record written as Amit sel. His Aadhar card mention as Ankit Raj. Ankit Raj and Amit sel both are same and one person. That from now he will be known as Amit sel for all future purpose. Vide affidavit no-6091 Dated-03.10.2026

Chola Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एवं फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

कॉरपोरेट ऑफिस : चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 छत सी55 4 थिरु वि का एण्डस्ट्रियल इस्टेट, गुइन्डी, चेन्नई-600032 तामिलनाडु

मांग सूचना

सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (दि ॲक्ट) एवं सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (दि रुल्स) की वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन के प्रावधानों के अधीन अधोहस्ताक्षरकर्ता चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एवं फायनेंस कम्पनी (निरापद) लेनदार का अधिनियम ते अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी होने के कारण एवं अनुभाग 13 (12) सहपाठित नियमावली के नियम 3 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम के अनुभाग 13 (2) के अधीन, निम्नलिखित ऋणी (ऋणियों) को इस सूचना की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर क्रमशः सूचना (सूचनाओं) में वर्णित राशि के पुनर्भुगतान हेतु 3 मांग सूचना (सूचनाएं) जारी की गई थी। अधोहस्ताक्षरकर्ता तर्कसंगत रुप से विश्वास करता है कि ऋणी (ऋणियों) मांग सूचना / सूचनाओं की सेवा को डाला हैं। इसलिए सूचना की सेवा को प्रत्योजना एवं नियमानुसार प्रकाशित द्वारा प्रभावित किया गया है। मांग सूचना सूचनाओं की अंतर्वस्तु को यहां नीचे अवतरित किया जाता है।

अ. क्र.	ऋणी / ऋणियों एवं सहऋणी / ऋणियों का नाम एवं पता	ऋण राशि	मांग सूचना दिनांक एवं बकाया राशि	निरापद सम्पत्ति / परिसम्पत्ति का विवरण
1	ऋण खाता संख्या : LAP3SIW000136249 **1. श्री./ श्रीमती उत्कर्ष कुमार** **2. श्री./ श्रीमती प्रभादेवी (ऊर्फ) प्रभा देवी** **3. श्री./ श्रीमती अरुणवर्मा (ऊर्फ) अरुण वर्मा** **पता** : द्वारा, अरुण कुमार वर्मा, रघुनाथपुर, अमोदेई, पूर्वी चंपारण, बिहार-845 433, माध्यमिक विद्यालय के पास, पूर्वी चंपारण, बिहार-845 433; **इसके अलावा** : मौजा : अमोदेई टोला रघुनाथपुर, थाना : रामगढ़वा, थाना नंबर 68, खाता नंबर 125, जिला : पूर्वी चम्पारण, आमोदेई टोला, रघुनाथपुर, रामगढ़वा, पूर्वी चम्पारण, बिहार-845 305।	रु. 20,00,000/-	**09.10.2026** रु. **20,68,594/- (रुपये बीस लाख अड़सठ हज़ार पाँच सौ चौरानवे मात्र)** दि. **09.10.2026** तक	➢ **दस्तावेज़ के अनुसार पता** - खाता 125, खेसरा 1302, रकबा 0 एकर, 2.62 दशमलव (डिसिमल), हल्का रघुनाथपुर, अंचल : रामगढ़वा, मुजफ्फरपुर, रघुनाथपुर, माध्यमिक विद्यालय के पास, 1302, पूर्वी चंपारण, बिहार। ➢ **वास्तविकता के आधार पर पता** - प्लॉट नं. 1302 / मौजा : आमोदेई टोला रघुनाथपुर, थाना. रामगढ़वा, थाना नं. 68, खाता नं. 125, जिला : पूर्वी चंपारण - 845 305 बिहार। ➢ **वास्तविक के अनुसार - पूर्व** : 12 फीट चौड़ी सड़क; **पश्चिम** : एच/ओ. अनलदेव तिवारी; **उत्तर** : एच/ओ. निज मोकिर (दादी); **दक्षिण** : एच/ओ. धर्मेन्द्र महतो. ➢ **विलेख के अनुसार के अनुसार - पूर्व** : निजी रोड; **पश्चिम** : अनलदेव तिवारी; **उत्तर** : निज मोकिर; **दक्षिण** : धर्मेंद्र महतो।

ऋणी ऋणियों को ऐतद्व द्वारा मांग सूचना (सूचनाओं की पालना की सलाह दी जाती एवं इस प्रकाशन की दिनांक से 60 दिनों के भीतर मय लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, वापस किए प्रभारों, लागत एवं भुगतान की वसुली की दिनांक तक समस्त व्ययों जो यहां उपरोक्त वर्णित मांगी गई राशि का भुगतान देवें। ऋणी (ऋणियों) यह नोट कर लेवें कि **चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड** एक निरापद लेनेदार है एवं ऋणी (ऋणियों द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा ऋणी (ऋणियों द्वारा रखी गई अचल सम्पत्ति / परिसम्पत्तियां हैं जो निरापद सम्पत्ति (सम्पत्तियों के विरुद्ध दिया गया निरापद कर्ज है। प्राणी ऋणियों) निर्धारित समय के भीतर पूर्ण रुपेण उनके दायित्वों देनेदारियों का निर्वहन के विफल होने की स्थिति में निरापद लेनदार निरापद सम्पत्ति (सम्पत्तियों) सहित परंतु अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत नियमों एवं भुगतान की वसुली के अधीन इसकी बिक्री द्वारा हस्तांतरित में सीमित या अन्य कोई उपलब्ध निदान प्रेरक द्वारा अधिनियम के अनुसार 13 (4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में लाने जाने का सर्वाधिक सुरक्षित है। निरापद लेन बिक्री के अधिकार को लागू करने या निरापद (सम्पत्तियों के स्थानांतरण आगामी बिक्री करने के पूर्व **संलग्न एवं / या सील** करने का भी शक्ति प्राप्त है। निरापद लेनदार शेष राशि की वसुली में कानूनी कार्यवाह प्रारंभ करने का भी अधिकार है, यदि निरापद लेनेदार में बकाया देय की वसुली में सम्पत्ति अपर्याप्त पाई जाती है। इस निदान के अतिरिक्त एवं अन्य कोई कानून के अधीन निरापद लेनदार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है।

ऋणी (ऋणियों) का ध्यान, अधिनियम के अनुभाग 13 (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि वे उपलब्ध समय के निरापद सम्पत्तियों को छुड़वा लेवें एवं द्वारा स्थानान्तरित किये जाने, पट्टे पर देना या अन्यथा (व्यवसाय के अन्य कोई साधारण अवस्था में) बगैर पूर्व लिखित सूचना एवं गैर अनुपालन नहीं करे, यदि ऐसा किया जाता है तो उपर्युक्त अधिनियम के अनुभाग 29 के अधीन एक दंडनीय अपराध है। अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास मांग सूचना की प्रतिलिपि है एवं ऋणी (ऋणियों) यदि वे चाहे ते कार्यालय ते नियत समय एवं कार्यदिवस में इस सूचना की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी
कृते **चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एवं फायनेंस कम्पनी लिमिटेड**

स्थान : पूर्वी चम्पारण, बिहार
दिनांक : 09.10.2026

Chola Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एवं फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

कॉरपोरेट ऑफिस : चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 छत सी55 4 थिरु वि का एण्डस्ट्रियल इस्टेट, गुइन्डी, चेन्नई-600032 तामिलनाडु

ई-नीलामी विक्रय सूचना (विक्री केवल ई-बोली के माध्यम से)

2002 सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) और 9 (1) के प्रावधानों के अधीन अचल सुरक्षित आस्तियों के विक्रय के लिए बिक्री सूचना।

आमजन और विशेष रुप से **कॉलम (ए)** में दर्शाए गए ऋणधारक(रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लेखित अचल सम्पत्ति(यां) जो कि **कॉलम (सी)** मे दर्शाई गई है का **कॉलम (डी)** में उल्लेखित रचनात्मक / भौतिक कब्जा का बंधक / प्रभात सुरक्षित लेनदार द्वारा ले लिया गया है जिसको सुरक्षित लेनदार, **हाऊसिंग चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **जहाँ है जैसा है, जैसा है जो है और जो कुछ भी वहां है** के आधार पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बेचा जाएगा। प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम **8 (6)** के अधीन यहां ऋणधारक / बंधककर्ता(ओं) / कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधियों (चाहें ज्ञात हो या अज्ञात), निष्पादक(रों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों) और माननीय ऋणधारक / बंधनकर्ता(ओं) (मृतक के पश्चात) के वारिस (रों) जैसा कॉलम (ए) में इंगित किया गया है, चो यह नोटिस दिया जा रहा है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार, चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एंड फायनेंस कंपनी लिमिटेड की वेबसाईट यानी **https://www.cholamandalam.com** और **www.auctionfocus.in** में दिए गये लिंक को देखें।

क्र. सं.	(ए) ऋण खाता संख्या ऋणधारक(कों) / बंधककर्ता(ओं) / जमानदार(रों) के नाम	(बी) बकाया राशि जो वसूल की जाती है। (सुरक्षित बकाया)	(सी) अचल सम्पत्ति / सुरक्षित आस्ति का विवरण	(डी) कब्जे का प्रकार	(ई और एफ) आरक्षित मूल्य (रुपये में) / बयाना राशि जमा (रुपये में)	(जी) नीलामी को तिथि और समय
1.	खाता क्र. संख्या : **HL25HJP000070986** **1. श्री. / सुश्री नरेश राय २. श्री. / सुश्री राम रे ३. श्री. / सुश्री पुनम देवी** **क्र. संख्या 1, 2 और 3 के लिए पता** : द्वारा, राम सागर राय, मानिकपुर पकड़ी, वैशाली, स्कूल के पास, लालगंज, बिहार-844 121। **क्र. संख्या 1, 2 और 3 के लिए पता** : खेसरा संख्या 446, खाता संख्या : 123 के अंतर्गत मौजा : मानिकपुर पकड़ी, थाना : लालगंज, थाना संख्या : 13, पंजिकृत कार्यालय : लालगंज, जिला : वैशाली, (बिहार)-8441 21।	**01.07.2026 तक ₹ 20,01,382/- (रुपये बीस लाख एक हज़ार तीन सौ बयासी मात्र)**	खेसरा संख्या : 446, खाता संख्या : 123 के अंतर्गत मौजा : माणिकपुर पकड़ी, थाना : लालगंज, थाना संख्या : 13, पंजिकृत कार्यालय : लालगंज, जिला : वैशाली, (बिहार)-844 121। ➢**वास्तविकता के आधार पर - उत्तर** : नीज; **दक्षिण** : नीज; **पूर्व** : नीज रास्ता; **पश्चिम** : 10 फीट पीसीसी सड़क । ➢**विलेख के अनुसार - उत्तर** : नीज मनमोकिर; **दक्षिण** : नीज मनमोकिर; **पूर्व** : खरीदार; **पश्चिम** : सड़क।	रचनात्मक कब्जा	**₹ 65,34,000/- (रुपये पैंसठ लाख चौंतीस हज़ार मात्र)** **₹ 6,53,400/- (रुपये छ्ह लाख तिरपन हजार चार सौ मात्र)**	**04.12.2026 को सुबह 2.00 से सायं. 04.00 तक (निविदा दस्तावेज के संदर्भ में प्रत्येक 5 मिनिट के स्वचालित विस्तार सहित)**
2.	खाता क्र. संख्या : **LAP3ARH000114378** **1. श्री. / सुश्री गजेंद्र सिंह २. श्रीमान/सुश्री राज देवी ३. श्री. / सुश्री उपेन्द्र सिंह ४. श्री. / सुश्री मीरा देवी ५. श्री. / सुश्री हरदेव सिंह** **क्र. संख्या 1 से 5 के लिए पता** : द्वारा, हरदेव प्रसाद सिंह, गांव : बालूनी, गोवर्धन मूर्ति के पास, भोजपुर, बिहार-802 201। **क्र. संख्या 1 से 5 के लिए पता** : खेसरा संख्या : 2023, खाता संख्या : 342, मौजा : भेलाई, थाना : उदवंतनगर, अंचल : उदवंतनगर, उप-पंजिकृत कार्यालय : आरा, थाना नं. 228, भेलाई, उदावंतनगर, आरा, बिहार-802 302।	**13.04.2026 तक ₹ 25,59,862/- (रुपये पच्चीस लाख उनसठ हजार आठ सौ बासठ मात्र)**	खाता नंबर 342 खेसरा नंबर 2023, मौजा भेलाई, उदवंतनगर, यूनिवर्सिटी के पास, 2023, भोजपुर, बिहार। ➢**जांच के अनुसार - उत्तर** : 10 फीट कच्ची रास्ता फिर रामाशंकर सिंह; **दक्षिण** : रामजी सिंह (प्लॉट); **पूर्व** : हरेराम यादव (नए मालिक); **पश्चिम** : सतीश सिंह (प्लॉट)। ➢**विलेख के अनुसार - उत्तर** : रामाशंकर सिंह वा रास्ता 4 फीट X 4 फीट; **दक्षिण** : रामजी सिंह हिसेदार; **पूर्व** : निज मोकिर; **पश्चिम** : सतीश सिंह हाल बैंदर।	रचनात्मक कब्जा	**₹ 54,09,000/- (रुपये चौवन लाख नौ हज़ार मात्र)** **₹ 5,40,900/- (रुपये पाँच लाख चालीस हजार नौ सौ मात्र)**	**04.12.2026 को सुबह 2.00 से सायं. 04.00 तक (निविदा दस्तावेज के संदर्भ में प्रत्येक 5 मिनिट के स्वचालित विस्तार सहित)**

निरीक्षण दिनांक और समय : **02.12.2026** को प्रातः **11.00** बजे से सायं. **4.00** बजे के बीच | न्यूनतम बोली वृद्धि राशि : रु. **10,000/-**

बोली / ईएमडी / भागीदारी के लिए अनुरोध पत्र जमा करने की अंतिम तारीख : **03.12.2026** शाम **05.00** बजे तक।

*** ऋण अनुबंध की शर्तों के संदर्भ में लागू आगामी ब्याज के साथ, आकस्मिक व्यय, लागतों, प्रभातों आदि सहित भुगतान और / या उसकी वसूली की तारीख तक खर्च।**

संपत्ति के निरीक्षण के संबंधित किसी भी सहायता के लिए, या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न के लिए, कृपया **1. मनोज कुमार पाण्डे, भ्रमणध्वनी क्र. : 9835422089 और ई-मेल : manojkumarpc@chola.murugappa.com 2. केशव कुमार, भ्रमणध्वनी क्र. : 9386742491 और ई-मेल : kumarp@chola.murugappa.com** पर सम्पर्क करें। **चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एंड फायनान्स कंपनी लिमिटेड** के अधिकृत **चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एवं फायनेंस कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त अचल संपत्तियों / सुरक्षित आस्तियों के संबंध में कोई बाधा नहीं है।

हस्ताक्षर/-
प्राधिकृत अधिकारी
कृते चोलामंडलम् इन्वेस्टमेंट एवं फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

दिनांक : 31.10.2026
स्थान : वैशाली / आरा, बिहार